एमपीलैड्स
पर पॉकेट बुक

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

वेबसाइट : www.mplads.gov.in

संदेश

संसद सदस्यों के सुलभ संदर्भ हेतु एमपीलैड्स दिशानिर्देशों पर यह पॉकेट बुक प्रथम बार प्रकाशित की जा रही है। यह बेहतर अनुशंसा करने में सहायता प्रदान करेगी तथा परिणामस्वरूप एमपीलैड्स निधियों का श्रेष्ठतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

हमें आशा है कि यह संसद सदस्यों तथा अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए लाभकारी होगी।

श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा
मंत्री,
सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय

श्री विजय गोयल
राज्यमंत्री,
सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) संबंधी दिशानिर्देश

विशेषताएंः

1. **एमपीलैड** स्कीम, संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के **सृजन हेतु विकासात्मक प्रकृति** के कार्यों की अनुशंसा करने के लिए समर्थ बनाती है।

2. प्रत्येक संसद सदस्य 5 करोड़ रू. प्रतिवर्ष की धनराशि का पात्र है, जो दो समान किश्तों में जारी की जाती है। पात्रता का दो प्रतिशत प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग किया जाना होता है (पैरा 4.17)

3. अनुशंसा किए गए कार्य पेयजल, प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों आदि जैसी परिसंपत्तियों और सुविधाओं के सृजन से संबंधित होने चाहिए ।

4. **अनुशंसित कार्य के नोडल जिले और भौगोलिक क्षेत्र का चयनः–**

संसद सदस्य का प्रकार	नोडल जिला चयन (पैरा–2.3)	अनुशंसित कार्य का भौगोलिक क्षेत्र
लोक सभा सांसद	निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी जिला	निर्वाचन क्षेत्र के भीतर
राज्य सभा सांसद	चुनाव के राज्य का कोई भी जिला	चुनाव राज्य के भीतर
दोनों सदनों के नामित सांसद	देश का कोई भी जिला	देशभर में कही भी

5. प्रत्येक संसद–सदस्य ऑनलाइन या अनुबंध–III में दिए गए प्रपत्र में संबंधित **जिला प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक पात्रता की सीमा तक कार्यों की अनुशंसा** कर सकता है। (पैरा 2.2)

6. संसद सदस्य प्रत्येक वर्ष संबंधित वर्ष की पात्रता का न्यूनतम 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की आवासीय बस्तियों में खर्च किए जाने की अनुशंसा कर सकते हैं।

7. संसद सदस्य प्रत्येक वर्ष संबंधित वर्ष की पात्रता का न्यूनतम 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की आवासीय बस्तियों में खर्च किए जाने की

सिफारिश कर सकते हैं।

8. **प्राकृतिक तथा मानव–जनित आपदाएं:** संसद सदस्य आपदाओं/प्राकृतिक तबाही की संभावना वाले या प्रभावित क्षेत्रों में एमपीलैड्स कार्यों की अनुषंसा कर सकते हैं।

   (1) देष के किसी भी भाग में **'गंभीर प्राकृतिक आपदा'** के मामले में एक संसद सदस्य प्रभावित जिले (गंभीरता भारत सरकार द्वारा निर्णीत की जाएगी) के लिए **1 करोड़ रू.** तक के कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। (पैरा 2.8)

   (2) राज्य के लोक सभा संसद सदस्य उस राज्य में प्राकृतिक या मानव–जनित आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में **25 लाख रू. प्रति वर्ष** तक के कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। (पैरा 2.7)

9. **संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र या उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से बाहर कार्यों हेतु एमपीलैड्स निधियों का योगदान** (पैरा 2.9.1)

   (1) धनराशि की अधिकतम सीमा वित्तीय वर्ष में 25 लाख रू. है।

   (2) ट्रस्टोंध्सोसायटियों तथा कॉ–आपरेटिव सोसायटियों के लिए अनुमति नहीं है।

10. कार्य तथा कार्य के लिए चयनित स्थल में परिवर्तन केवल संबंधित संसद सदस्य की सहमति से किया जा सकता है। (पैरा 3.4)

    (कार्य शुरू होने तथा व्यय देयता के उपरान्त परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी)

11. अनुशंसा किए गए कार्य के मामले में जिला प्राधिकारियों की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु प्रदत्त अवधिध्समय (पैरा 3.12)

    (1) स्वीकृति–75 दिनों के भीतर (अनुशंसा प्राप्त होने से लेकर)

    (2) अस्वीकृति–45 दिनों के भीतर (अनुशंसा प्राप्त होने से लेकर) कारणों सहित।

12. जिला प्राधिकारी द्वारा संसद सदस्य के कार्यकाल की अंतिम तारीख तक प्राप्त सभी संस्तुत कार्य क्रियान्वित किए जाने हैं, बशर्ते ये मानदंडों के अनुरूप हों तथा संसद सदस्य की एमपीलैड्स निधियों संबंधी पात्रता के भीतर हों (पैरा 3.11)

13. निधियों को केन्द्रीय और राज्य सरकार की स्कीम/परियोजनाओं के साथ मिलाया जा सकता है (पैरा 3.17 के अनुसार)

14. स्थानीय निकायों से प्राप्त निधियों को एमपीलैड्स कार्यों के साथ जोड़ा जा सकता है (पैरा 3.17 के अनुसार)

15. किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना में क्रियान्वयन का भौगोलिक क्षेत्र दर्शाते हुए संसद सदस्य की एमपीलैड निधि से केन्द्रीय व राज्य हिस्सेदारी के मुकाबले धनराशि को बढ़ाया जा सकता है ।

16. केन्द्रीय/राज्य स्कीम के साथ मिलान की अनुशंसा करते समय एक संसद सदस्य किसी एक लाभ प्राप्तकर्ता को इंगित नहीं कर सकता है। (पैरा 3.18)

17. कार्यों में सार्वजनिक तथा सामुदायिक अंशदान अनुमत्य है ।

    - एमपीलैड्स निधियां सार्वजनिक तथा सामुदायिक अंशदान को इसमें से घटाते हुए अनुमानित धनराशि की सीमा तक प्रयोग की जा सकती हैं।

18. एमपीलैड्स के अंतर्गत सम्मिलित कार्य जहां पर व्यवहार्य/अपेक्षित हो दिव्यांगजनों के प्रयोग के अनुकूल होने चाहिए।

19. गैर–सरकारी संगठनध्ट्रस्टध्सोसाइटियां

1. पंजीकृत सोसाइटियों/ट्रस्टों के मामले में सार्वजनिक अवसंरचना और सार्वजनिक उपयोगिता निर्माण कार्यों की अनुमति है। (पैरा 3.21 पैरा 3.21.1 से 3.21.6 की शर्तों के अध्ययधीन)

    - बशर्ते कि सोसायटी/ट्रस्ट सामाजिक सेवा/कल्याणकारी गतिविधियों में कार्यरत हो और
    - पिछले तीन वर्षों से विद्यमान हो

2. तथा **नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत** हो (पैरा 3.21, 3.21.1 से 3.21.6 की शर्तों के अध्ययधीन)

3. भूमि का स्वामित्व सोसायटी/ट्रस्ट के पास रह सकता है।

4. गैर सरकारी–संगठन/ट्रस्टों/सोसायटियों के लिए एम्पीलैड्स निधियों से विनिर्मित ढांचा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सम्पत्ति होगा।

5. सोसायटी/ट्रस्ट, सृजित की गई परिसंपत्तियों का संचालन तथा रखरखाव करेगा।

6. एनजीओ/सोसायटी/ट्रस्ट अपने पूर्ण कार्यकाल में एम्पीलैड्स निधियों से अधिकाधिक 50 लाख रुपये प्राप्त कर सकता है। (पैरा 3.21.2)

7. एक संसद सदस्य किसी एनजीओ/सोसायटी/ट्रस्ट के लिए एक वर्ष में **एक करोड़** तक की अनुशंसा कर सकता है। (3.21.2)

8. यदि अनुशंसाकर्ता संसद सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट का अध्यक्ष/चेयरमेन या सदस्य या ट्रस्टी है तो एम्पीलैड्स के अंतर्गत अनुदान की अनुमति नहीं है।

20. **किसी परियोजना के लिए न्यूनतम धनराशि**: सामान्यतः एक लाख रूपये से कम नहीं होनी चाहिए ।

एम्पीलैड्स के अंतर्गत अनुमत्य कार्यों/मदों की सूची

21. **सभी पात्र शैक्षणिक संस्थानों** के लिए 22 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक **पुस्तकों** की खरीद ।

22. **दिव्यांगजनों** के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये की सीमा तक तिपहिया साइकिलें, मोटोराइज्ड/बैटरी चालित व्हील चेयर, श्रवण सहायक उपकरणों तथा कृत्रिम अंगों की खरीद।

23. **सोलर लाईट्स**– सोलर लाइट परियोजना (अनुबंध II की मद 11 के अध्ययधीन)

24. **अस्पतालों के लिए एम्बुलेंस/शव वाहन**

25. वन्यजीव अभ्यारणयों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में **बीमार/घायल जानवरों के लिए एम्बुलेंस** (पैरा 3.25.1)

26. सभी पात्र शैक्षणिक संस्थाओं के लिए **कम्प्यूटरों की खरीद** (पैरा 3.30, 3.37.1)

27. सभी पात्र शैक्षणिक संस्थाओं के लिए विजुअल डिस्पले **इकाइयों की खरीद** (पैरा 3.30.1 और 3.37, 3.37.1)

28. केंद्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के लिए **एम्पीलैड्स निधियों से चलते–फिरते पुस्तकालयों**

की खरीद (पैरा 3.31)

29. वर्तमान में बेकार पड़े हेंड पंपों के स्थान पर नई बोरिंग करना। (पैरा 3.32)

30. संसद सदस्य के लिए प्रत्येक जिले में एक सुविधा केंद्र का सृजन (पैरा 3.34)।

31. रेलवे हाल्ट स्टेशन का निर्माण (पैरा 3.35)

32. किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त **तथा** किसी **वाणिज्यिक शुल्क** की वसूली न कर रहे सरकारी **शैक्षणिक संस्थानों को सभी अनुमत्य मदों के लिए बिना किसी सीमा के सहायता** (पैरा 3.37)।

33. किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा **मान्यता प्राप्त** ट्रस्टों/सोसायटियों द्वारा सरकारी **सहायता प्राप्त/गैर–सहायता प्राप्त** शैक्षणिक संस्थानों के मामले में **ट्रस्ट/सोसायटी** की सहायतार्थ सभी अनुमत्य मदों के लिए लगाई गई सीमा शर्त के अध्ययधीन (पैरा 3.21 और पैरा 3.37.1)।

34. तहसील/उपमंडल/जिला स्तर पर बार एसोशिएसन भवन का निर्माण बशर्ते भूमि संबंधित न्यायालय परिसर के भीतर केंद्रीय, राज्य/संघ राज्य या स्थानीय स्वशासन या बार एसोशिएसन से संबंधित हों (पैरा 3.38)

35. बार एसोशिएसन पुस्तकालय के लिए प्रतिवर्ष 50,000/– रु. तक की पुस्तकों की खरीद (पैरा 3.38.1)।

36. डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए **बायो–डाईजेस्टर्स** (पैरा 3.39)।

37. स्थिर भारोत्तोलन स्केल मशीन (पैरा 3.40)।

38. देश में सामरिक महत्व वाले स्थलों पर सुरक्षा चौकसी के लिए **सीसीटीवी कैमरा प्रणाली** (पैरा 3.41)।

39. ट्रस्टों/सोसायटियों के समान समझी जाने वाली **सहकारी समितियां** (पैरा 3.42)।

40. **वर्षा जल संचयन** प्रणालियों की स्थापना(पैरा 3.43)।

41. **शैक्षणिक संस्थानों, गावों और चुनिंदा स्थानों पर वाई–फाई प्रणाली** (पैरा 3.44 से संबंधित दिनांक 28.11.2016 के परिपत्र सं. एल–30/02/2014–एमपीलैड्स के तहत)।

अनुबंध ।। क में उल्लिखित मदों की सूची भी एमपीलैड्स स्कीम के अंतर्गत अनुमत्य, हैं।

अव्यपगत निधियां

42. किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियां उत्तरवर्ती वर्षों में जारी किए जाने के लिए अग्रेषित की जाती हैं (पैराग्राफ 4.3 में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति की शर्त पर)।

43. किसी संसद सदस्य द्वारा उपयोग न की गई निधिए कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नव–चयनित संसद सदस्य को निम्नानुसार वितरित की जाती है:

सदन	वितरण / हस्तांतरण
लोक सभा निर्वाचित (पैरा 4.7)	उस निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरवर्ती लोक सभा संसद सदस्य को हस्तांतरित (पूर्ववर्ती संसद सदस्यों के कार्यों के लिए निर्धारित नहीं की गई धनराशि)
लोक सभा मनोनित एंग्लो–इंडियन (पैरा 4.10)	लोक सभा के उत्तरवर्ती एंग्लो–इंडियन नामित सदस्य के मध्य एक समान रूप से वितरित (संस्तुति और स्वीकृत कार्यों के लिए निर्धारित न की गई धनराशि)
राज्य सभा निर्वाचित (पैरा 4.8)	राज्य के सभी वर्तमान राज्य सभा सदस्यों के बीच एक समान रूप से वितरित (संस्तुति किए गए कार्यों हेतु निर्धारित न की गई धनराशि)
राज्य सभा मनोनित (पैरा 4.9)	राज्य के उत्तरवर्ती मनोनित सदस्यों के बीच एक समान रूप से वितरित (संस्तुति तथा स्वीकृत किए गए कार्यों हेतु निर्धारित न की गई धनराशि)

एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यों की सूची

(एमपीलैड्स दिशा–निर्देशों संबंधी अनुबंध–।।)

1. केंद्र राज्य सरकारए उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों/संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन।
2. कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबद्ध अन्य कार्य।
3. ऐसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/इकाई शामिल हो।
4. किसी भी प्रकार के रख–रखाव वाले सभी कार्य।
5. जीर्णोद्धार तथा मरम्मत संबंधी सभी कार्य। (तथापि, महत्वपूर्ण जीवनरक्षक भवनों अर्थात् सरकारी अस्पताल, आपात काल में शरणस्थली के रूप में उपयोग की जाने वाले सरकारी स्कूल तथा सार्वजनिक भवन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से विशेष अनुमति प्राप्त विरासतीय तथा पुरातात्विक स्मारकों और भवनों में मरम्मत आदि कार्यों की एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी)
6. किसी भी केंद्र तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र राहत कोष को अंशदान, अनुदान तथा ऋण।
7. किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर रखी गई संपति।
8. सचल मदों की परियोजनाए अनुबंध–।। क में दिए गए को छोड़कर।
9. भूमि अधिग्रहण तथा अधिगृहित भूमि का मुआवजा।
10. किसी भी प्रकार के पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पूर्ण किए गए कार्यों या मदों की अदायगी।
11. व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ हेतु संपति। (तथापि, दिशा–निर्देशों के पैरा 3.28 के अनुसार, विकलांग पात्र व्यक्तियों को तिपहिया साइकिल व मोटर चालित तिपहिया साइकिल, कृत्रिम अंग तथा बैटरी से चलने वाली मोटर चालित व्हील चेयर (पहिएदार कुर्सी) की अनुमति दी गई है)।
12. समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय ।
13. धार्मिक पूजा से संबद्ध स्थलों के भीतर स्थित तथा धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिगृहित भूमि के अंतर्गत कार्य (तथापि, शवदाह गृहों और कब्रिस्तान/शमशान भूमियों के ऊपर निर्माण कार्य, कार्य स्थल के

धार्मिक पूजा–पाठ वाले स्थानों के समीप होने अथवा उस क्षेत्र के अंतर्गत स्थित होने का ध्यान रखे बिना, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हो, एमपीलैड्स के अंतर्गत किए जाने की अनुमति होगी) ।

14. स्वागत द्वारों का निर्माण।

15. अनाधिकृत कालोनियों में कार्यों का निष्पादन।

एमपीलैड्स दिशा–निर्देशों के अंतर्गत् अनुमत्य विशेष मदों की सूची(एमपीलैड्स दिशा–निर्देशों का अनुबंध ।।–क)

1. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्थायी रूप से लगने वाली प्रतीक्षा कुर्सियां/बेचों की स्थापना।

2. स्कूलों में शौचालयों का निर्माण।

3. कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए शैल्टर।

प्राथमिकता क्षेत्र

I. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1. अस्पतालों, परिवार कल्याण केंद्रों, जन स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, ए एन एम केंद्रों हेतु भवन
2. सरकारी अस्पतालों और औषधालयों के लिए अस्पताल के उपस्करों की प्राप्ति
3. सरकारी अस्पतालों/औषधालयों हेतु 5 लाख अथवा अधिक कीमत के चिकित्सीय उपस्कर
4. सरकारी एम्बुलेंस
5. चलता–फिरता औषधालय
6. शिशु सदन और आंगनबाड़ी
7. ब्लड बैंक भवन तथा अचल और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण
8. एनजीओ के माध्यम से चलने वाले एंबुलेंस/शव वाहन
9. अन्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजनाएं

II. शिक्षा

1. सरकारी शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन
2. सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन
3. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु कम्प्यूटर
4. मध्याह्न भोजन योजना के लिए सोलर गीजर तथा फिक्सड प्योरीफायर युक्त भोजनालयों तथा रसोईघरों का निर्माण
5. शैक्षणिक संस्थानों हेतु अन्य परियोजनाएं

III. विद्युत सुविधा

1. सार्वजनिक स्ट्रीट और स्थानों पर प्रकाश हेतु परियोजना

2. विद्युत वितरण अवसरंचना के सुधार हेतु सरकारी अभिकरणों की परियोजना

IV. पेयजल सुविधा

1. ट्यूब वैल
2. वाटर टैंक
3. हैंड पम्प
4. वाटर टैंकर
5. पाइप से पेयजल आपूर्ति
6. पेयजल मुहैया कराने हेतु अन्य कार्य

V. सिंचाई सुविधाएं

1. लोक सिंचाई सुविधाओं का निर्माण
2. बाढ़ नियंत्रण बांधों का निर्माण
3. पब्लिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं
4. सार्वजनिक भूजल रीचार्जिंग सुविधाएं
5. अन्य लोक सिंचाई परियोजनाएं

VI. गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत

1. सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र
2. सामुदायिक प्रयोग हेतु गैर–पारम्परिक ऊर्जा प्रणाली/ साधन

VII. अन्य लोक सुविधाएं

1. सामुदायिक केंद्रों का निर्माण'
2. चक्रवात, बाढ़ पीड़ितों और विकलांगों हेतु संयुक्त आश्रय–गृह
3. पब्लिक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम का निर्माण
4. ऊर्जा चालित शवदाह गृह सहित कब्रिस्तान/श्मशान भूमि पर श्मशान घर और निर्माण कार्य

5. कारीगरों हेतु कॉमन वर्क शेड

6. सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के लिए बस शैड/स्टॉप का निर्माण

7. सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु भवन

8. बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों (व्यक्ति विशेष के लिए नहीं) हेतु मोटरबोट की खरीद

9. स्कीम में स्वीकृत भवनों हेतु चारदीवारी

10. सार्वजनिक पार्क

11. शव वाहन

12. सरकारी अभिकरणों हेतु बैटरी चालित बसें

13. सरकारी संगठनों हेतु अग्नि टेंडर

14. अन्यत्र शामिल न होने वाले अन्य सार्वजनिक कार्य

15. महत्वपूर्ण जीवनरक्षक भवनों अर्थात् आपातकाल में शरणस्थली के रूप में उपयोग किए जाने वाले स्कूल तथा सार्वजनिक भवनों की मरम्मत

16. आपदा के कारगर उपशमन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली

    I. एमपीलैड्स निधियां एक ग्राम (ग्राम का अर्थ एक राजस्व ग्राम से है) में केवल एक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए प्रयुक्त होंगी ।

    II. उन ग्रामों में जहां एक या अधिक सामुदायिक भवन पहले से विद्यमान है, चाहे उसका निर्माण एमपीलैड्स निधियों अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम की निधियों से हुआ है, एमपीलैड्स निधियों से किसी और भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता; और

    III. एमपीलैड्स निधियों से निर्मित सामुदायिक भवन बिना किसी प्रतिबंध के स्थानीय समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ होगा ।

    IV. उन शहरों में जहां भूमि की कमी है वहां मौजूदा सामुदायिक भवनों पर अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण की अनुमति है ।

VIII. रेलवे, सड़कें, पगडंडी और पुल

1. सड़कों, पहुंच मार्ग, संपर्क सड़कों और पगडंडियों का निर्माण
2. फुटपाथों का निर्माण
3. पुलियों और पुलों का निर्माण
4. मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर लेवल क्रॉसिंग बनाना
5. लेवल क्रॉसिंग (मानव युक्त अथवा मानव रहित) के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज का निर्माण
6. रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) जहां उपलब्ध नहीं है वहां सीढ़ियों का निर्माण
7. रेल पटरियों को पार करने के लिए पैदल चलने वालों/सड़क का उपयोग करने वालों के लिए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण
8. लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर डायवर्सन रोड का निर्माण
9. जहां रेलवे पटरी के दोनों ओर सड़क के निर्माण के कारण, रेलवे पटरी पर अप्राधिकृत क्रॉसिंग है अथवा पशु पार करते हैं वहां रोड अंडर ब्रिज का निर्माण
10. रेलवे स्टेशन को पहुंच मार्ग का निर्माण
11. रेलवे स्टेशन के संचारी क्षेत्र का निर्माण
12. रेलवे स्टेशन के संचारी क्षेत्र में यात्रियों के लिए अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण
13. रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण
14. रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण
15. स्टेशन परिसर में प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण
16. स्टेशन परिसर में पेयजल का प्रावधान
17. स्टेशनों पर स्वःचालित सीढ़ी/ट्रेवलेटर का प्रावधान

18. स्टेशन/लेवल क्रॉसिंग गेट पर सोलर लाइटिंग का प्रावधान

19. स्टेशनों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं (जैसे रैम्प, अलग शौचालय आदि)

IX सफाई और जन स्वास्थ्य

1. सार्वजनिक जल निकासी हेतु नालियां और गटर
2. सार्वजनिक शौचालय और स्नानघर
3. कूड़ा उठाना और मल निपटान प्रणाली, स्थानीय निकायों के लिए वाहनों सहित अर्थ मूवर्स
4. सफाई और जन स्वास्थ्य हेतु अन्य कार्य

X खेलकूद

1. खेलकूद गतिविधियों के लिए भवन
2. शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भवन
3. मल्टी–जिम हेतु भवन
4. स्थायी (अचल) खेलकूद उपस्कर
5. मल्टी जिम उपस्कर
6. ग्राम–स्तर/ब्लाक स्तर पर खेल मैदान/खेलकूद सुविधाओं का निर्माण
7. खेलकूद से संबंधित कार्यों के लिए बिल्डिंग
8. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्थायी प्रकृति की सिंथेटिक हॉकी तथा फुटबाल टर्फ बनाना
9. व्यायामशालाओं (स्वस्थता केन्द्रों) का निर्माण
10. जिला मुख्यालयों में दर्शकों के बैठने के लिए कंक्रीट के छोटे ओपन–एयर स्टेडियम का निर्माण
11. स्थाई गार्डन जिम मशीनें
12. खेलकूद गतिविधियों के लिए अन्य सार्वजनिक कार्य

XI पशु देखभाल, डेयरी तथा मत्स्य पालन संबंधी कार्य

1. पशु–चिकित्सा सहायता केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और प्रजनन केंद्र
2. पशुओं के लिए आश्रय–गृह
3. पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों का निर्माण
4. सीमन बैंकों के लिए भवनों एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण

XII कृषि से संबंधित कार्य

1. किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं सहायता केंद्रों का निर्माण
2. मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण बशर्ते किसी उपभोज्य वस्तु की अनुमति नहीं होगी

XIII हथकरघा बुनकरों के लिए कलस्टर विकास से संबंधित कार्य

1. निस्तारी उपचार संयंत्रों के मामले में यह प्रावधान है कि ऐसी परियोजनाएं समुदाय के लिए हों न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए

XIV शहरी विकास से संबंधित कार्य

1. पगडंडी/पैदल पथों का निर्माण
2. गैर–मोटरचालित वाहन लेनों/साइकिल मार्गों का अलग–अलग निर्माण
3. वर्षा जल संचयन पार्कों का निर्माण–डेमों परियोजनाएं– प्रत्येक नगरपालिका के लिए एक
4. सामुदायिक शौचालय

टिप्पणीः

(1) कार्य आम लोगों/समुदाय के लिए होंगे न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ।

(2) परिचालन तथा अनुरक्षण की लागत प्रयोक्ता सरकार/मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा वहन की जाएगी । (यह घटक कार्य को आरंभ करने से पहले जिला प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा)

(3) भवन (जैसों खेलों के लिए बहुद्देशीय हॉल,व्यायामशाला, ओपन–एयर छोटे स्टेडियम, पशु चिकित्सालय तथा औषधालय, सीमन बैंक, कृषकों के प्रशिक्षण सहायता केन्द्र और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, आदि) का निर्माण तब ही किया जाएगा जब विशेष मद को विधिवत मंजूरी दी गई है तथा इसके परिचालन तथा अनुरक्षण की जरूरतें एवं लागत (जैसे जनशक्ति, फर्नीचर फिक्चर, कार्यालय उपस्कर, उपभोज्य वस्तुएं, सुरक्षा आदि) को प्रयोक्ता सरकार/मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा विधिवत पूरा किया जाएगा ।

(4) जिला प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एमपीलैड्स के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का यथोचित एवं नियमित लाभकारी उपयोग के आवश्यक लक्ष्य को विधिवत पूरा किया जाए ।

एमपीलैड स्कीम के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. पात्र कार्य के लिए मानदंड क्या है?

उत्तर. स्थानीय स्तर पर महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर बल देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू किया जा सकता है। टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्राथमिकता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कें आदि शामिल हैं ।

2. क्या एक संसद सदस्य 5 करोड़ रु. प्रति वर्ष की उसकी पात्रता से अधिक कार्यों की सिफारिश कर सकता है ?

उत्तर. हां, तथापि नोडल जिला प्राधिकारी द्वारा निधियां केवल संसद सदस्य की पात्रता के अनुसार स्वीकृत की जाएगी (एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 2.6 और 3.1)।

3. क्या एक संसद सदस्य अपने पूरे कार्यकाल की कुल पात्रता की सिफारिश किसी एक वित्तीय वर्ष में कर सकता है ?

उत्तर. हां, तथापि कार्यों को मंजूरी वार्षिक पात्रता के अनुसार प्रदान की जाती है और निधियां अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात केवल वार्षिक पात्रता के अनुसार जारी की जाएंगी (एमपीलैड दिशानिर्देशों का पैरा 4.3)।

4. क्या विधिवत रूप से सिफारिश तथा स्वीकृति किए गए कार्य निरस्त किए जा सकते हैं ?

उत्तर. हां, निरस्तीकरण की सिफारिश की जा सकती है बशर्ते निरस्तीकरण के कारण सरकार पर कोई संविदात्मक या वित्तीय देयता/लागत नहीं बनती हो (दिशानिर्देशों का पैरा 3.15)।

5. संस्थानों के लिए निधियों की सिफारिश अधिकाधिक किस सीमा तक की जा सकती है तथा इसके अंतर्गत किस प्रकार के संस्थान कवर किए गए हैं?

उत्तर. किसी ट्रस्ट/सोसायटी विशेष के पूर्ण काल में उसके एक या एक से अधिक कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों से 50 लाख रु. से अधिक की धनराशि खर्च नहीं की जा सकती है। (दिशानिर्देशों का पैरा 3.21, 3.21.1 से 3.21.6)

6. यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति क्षेत्र नहीं आता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए निर्धारित क्रमशः 15: और 7.5% की धनराशि के विरुद्ध कार्यों की सिफारिश किस प्रकार से की जानी है ?

उत्तर. संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर लेकिन अपने चुनाव के राज्य के भीतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन की सिफारिश कर सकते हैं। संसद सदस्य प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में वर्ष भर के लिए एमपीलैड्स निधियों की पात्रता के क्रमशः न्यूनतम 15% और 7.5% लागत वाले कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। यदि उसके निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति क्षेत्र नहीं आता है तो कार्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में किया जा सकता है तथा यह विपरीत रूप में भी लागू होता है।

8. क्या निधियां निर्वाचन क्षेत्र/राज्य से बाहर उपयोग में लाई जा सकती है?

उत्तर. हां, संसद सदस्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकाधिक 25 लाख रु. की सीमा के पात्र कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। तथापि, इस प्रकार के अंशदानों की ट्रस्टों/सोसाइटियों और को–ऑपरेटिव सोसाइटियों के मामले में अनुमति नहीं है। (दिशानिर्देशों का पैरा 2.9 और पैरा 2.9.1)

9. क्या संसद सदस्यों की निधियां बार–बार होने वाले व्यय पर भी खर्च की जा सकती हैं?

उत्तर. नहीं, सभी प्रकार के राजस्व और बार–बार होने वाले व्यय की अनुमति नहीं है (दिशानिर्देशों के अनुबंध–II का 12)

10. क्या संसद सदस्य प्रत्यक्ष रूप से एमपीलैड वेबसाइट पर कार्य की सिफारिश कर सकता है ?

उत्तर. हां, संसद सदस्य लॉग–इन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग ईन करके प्रत्यक्ष तौर पर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

11. क्या संसद सदस्य कार्यों की सिफारिश को ऑनलाइन संशोधित या वापस ले सकते हैं ?

उत्तर. हां, इसे एमपीलैड्स दिषानिर्देषों के प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन किया जा सकता है ।

12. गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए माननीय संसद सदस्य एमपीलैड्स की अधिकाधिक कितनी धनराशि की सिफारिश कर सकते हैं?

उत्तर. देश के किसी भी भाग में 'गंभीर प्राकृतिक आपदा' की घटना के मामले में एक संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए अधिकाधिक 1 करोड़ रु. तक के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। आपदा गंभीर प्रकृति की है या नहीं, यह निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

13. क्या एमपीलैड्स निधियों का प्रयोग सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए किया जा सकता है?

उत्तर. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए है। स्कीम का क्रियान्वयन एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के द्वारा शासित किया जाता है। संसद सदस्य (एमपी) प्रतिवर्ष 5 करोड़ रु. के कार्यों की सिफारिश किए जाने के पात्र हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के उन कार्यों के लिए एमपीलैड्स से अंशदान दिया जा सकता है जो एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत क्रियान्वयन के पात्र हैं ।

14. एमपीलैड्स स्कीम के अंतर्गत जारी न की गई/उपयोग में न लाई जा सकी निधियों का क्या किया जाता है ?

उत्तर. एमपीलैड्स के अंतर्गत निधियां, केन्द्र सरकार तथा जिला प्राधिकारी, दोनों के स्तर पर अव्यपगत हैं। किसी वर्ष विशेष में खर्च न की गई शेष धनराशि को उत्तरवर्ती वर्षों में उपयोग में लाया जाता है। जारी नहीं की गई निधियां, यदि कोई हैं, भारत सरकार के पास लंबित होने पर पहले पूर्व सांसद की पात्र कार्यों संबंधी वैध सिफारिशों को पूर्ण करने के लिए जारी की जाती हैं तथा तत्पश्चात उत्तरवर्ती संसद सदस्य के खाते में जारी की जाती है। पूर्व संसद सदस्य के पात्र कार्यों की सभी वैध सिफारिशों के क्रियान्वयन के पश्चात् खर्च न की जा सकी शेष राशि को उत्तरवर्ती वर्तमान संसद सदस्य के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

15. क्या स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज का बनाया जाना एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत मान्य है ?

उत्तर. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कम्प्यूटरों की

खरीद (पैरा 3.30) तथा दृश्य प्रदर्शन इकाइयों की खरीद (पैरा 3.30.1), जो स्मार्ट क्लास के घटक हैं, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत्य है।

16. क्या कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत शैल्टरों का निर्माण किया जा सकता है?

उत्तर. हां, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत शैल्टरों की सिफारिश की जा सकती है।

17. क्या एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्मारकों पर राष्ट्रीय झंडे के लिए फ्लैग पोस्ट के निर्माण को शामिल किया गया है ?

उत्तर. नहीं, स्मारकों पर राष्ट्रीय झंडे के लिए प्लैग पोस्ट का निर्माण एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।

18. क्या पौधों के स्रोत और सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण के उद्देश्य से उनके रखरखाव सहित नर्सरियों की स्थापना तथा सार्वजनिक स्थानों के सौन्दर्यकरण के लिए बागवानी का एक कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं, एमपीलैड्स निधियों से पौधों के स्रोत तथा उनके रखरखाव सहित सार्वजनिक स्थानों पर नर्सरियों की स्थापना नहीं की जा सकती है।

19. क्या एक संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर ट्रस्टों/सोसायटियों/को–ऑपरेटिव सोसायटियों के लिए अपने कार्यकाल के दौरान एक बार कार्यों की सिफारिश कर सकता है?

उत्तर. एमपीलैड्स निधियां मुख्यतः लोकसभा संसद सदस्यों के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य सभा संसद सदस्यों के मामले में संबंधित राज्यों में विकासात्मक कार्यों के लिए प्रदान की जाती है। अतः एमपीलैड्स निधियों का निर्वाचन क्षेत्र/राज्य से बाहर विचलन उपर्युक्त सिद्धांत के अनुरूप नहीं होगा।

20. क्या एमपीलैड्स निधियों से नगर निकायों की सीमाओं के भीतर जल निकाय संबंधी विकास कार्य किए जा सकते हैं ?

उत्तर. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुबंध–II के क्रम सं 4 और 5 के अनुसार एमपीलैड्स के अंतर्गत सभी प्रकार के रखरखाव, पुनरूद्धार, और मरम्मत कार्यों की मनाही है।

महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
नई दिल्ली

नाम/पदनाम	दूरभाष (कार्या.)
माननीय मंत्री कोड 011–	23340884, 23340739 23367245, 23747135
माननीय मंत्री के निजी सचिव	23340884, 23340739 23367245, 23747135 (फैक्स)
राज्य मंत्री (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन)	23782233, 23782020
राज्य मंत्री के निजी सचिव	23782233, 23782020
सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	23742150, 23344689 23742067 (फैक्स)
अपर सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	26105416, 26106413 26106422 (फैक्स)
अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार	23384360
उप महानिदेशक (कार्याक्रम कार्यान्वयन)	26106855
निदेशक (एमपीलैड्स)	26104106
निदेषक (आंतरिक वित्त प्रभाग)	26188663
संयुक्त निदेशक (एमपीलैड्स)	26178648
एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति	
अध्यक्ष	23024115, 23017576 (फैक्स)
संयुक्त सचिव	23035571, 23035569
निदेशक	23035383, 23034866
उप सचिव	23034013
एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति	
अध्यक्ष	23017371, 23012559 (फैक्स)
अपर सचिव	23034206
निदेशक	23034201
संयुक्त निदेशक	23035425

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

वेबसाइट : www.mplads.gov.in